International Journal of Humanities, Social Sciences and Literary Research
(An International Peer-Reviewed (Refereed) Journal)
Website: www.ijhslr.org/
E-mail: editorinchief@ijhslr.org
ISSN (Online): 3139-3225

राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की भूमिका

डॉ. लाल बहादुर राम
एसोसिएट प्रोफेसर,
रक्षा एवं स्त्रातजिक अध्ययन विभाग (सैन्य विज्ञान विभाग)
समता पी. जी. कॉलेज सादात, गाजीपुर

Received: 26 April 2026, Revised: 29 May 2026, Accepted: 15 June 2026, Available Online: 30 June 2026

https://doi.org/10.5281/zenodo.21777101

सार (Abstract)

राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी संप्रभु राष्ट्र की स्थिरता, अखंडता, संप्रभुता तथा विकास का मूल आधार होती है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि इसमें आतंकवाद, साइबर अपराध, आर्थिक सुरक्षा, जैविक खतरे, सूचना युद्ध(Information Warfare), साइबर युद्ध, संगठित अपराध तथा आंतरिक विद्रोह जैसे अनेक आयाम सम्मिलित हो चुके हैं। इन जटिल चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना करने के लिए एक सक्षम, आधुनिक एवं समन्वित खुफिया तंत्र की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है। हाल ही में हमास द्वारा इज़रायल पर किए गए व्यापक आतंकवादी हमले ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि खुफिया जानकारी समय पर उपलब्ध न हो अथवा उसका प्रभावी विश्लेषण एवं उपयोग न किया जाए, तो अत्यधिक विकसित सुरक्षा तंत्र भी गंभीर संकट का सामना कर सकता है। इस घटना ने विश्वभर में खुफिया एजेंसियों की भूमिका, उनकी कार्यप्रणाली, तकनीकी क्षमताओं तथा समन्वय व्यवस्था पर पुनः व्यापक चर्चा को जन्म दिया है। दूसरी ओर, भारत भी पिछले कई दशकों से सीमा पार आतंकवाद, अलगाववाद, नक्सलवाद, साइबर हमलों तथा विदेशी खुफिया गतिविधियों जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय खुफिया एजेंसियों–अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो(IB), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(NTRO), राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र(NCCC) तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(NSA) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। यह शोध पत्र राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की भूमिका का व्यापक-विश्लेषण प्रस्तुत करता है। इसमें खुफिया प्रणाली की अवधारणा, उद्देश्य, भारत की प्रमुख खुफिया संस्थाओं की संरचना एवं कार्यप्रणाली, अंतरराष्ट्रीय खुफिया मॉडल, आधुनिक तकनीकी चुनौतियाँ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial

Intelligence) आधारित खुफिया विश्लेषण, साइबर सुरक्षा, तथा भारतीय खुफिया तंत्र में आवश्यक सुधारों का समालोचनात्मक अध्ययन किया गया है। अध्ययन का निष्कर्ष यह इंगित करता है कि 21वीं सदी में राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं रह सकती, बल्कि प्रभावी खुफिया तंत्र, उन्नत तकनीकी संसाधन, एजेंसियों के मध्य समन्वय, समयबद्ध निर्णय क्षमता तथा लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व ही किसी राष्ट्र की वास्तविक सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत के लिए भी भविष्य की सुरक्षा नीति में पारंपरिक खुफिया प्रणाली के साथसाथ - डिजिटल इंटेलिजेंस, बिग डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग को समान महत्व देना आवश्यक होगा।

1. प्रस्तावना

विश्व राजनीति के बदलते स्वरूप ने राष्ट्रीय सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा को पूरी तरह परिवर्तित कर दिया है। एक समय था जब किसी राष्ट्र की सुरक्षा का आकलन केवल उसकी सैन्य शक्ति, हथियारों की संख्या अथवा सीमाओं की सुरक्षा से किया जाता था, किंतु वर्तमान समय में सुरक्षा का दायरा अत्यधिक विस्तृत हो चुका है। आज किसी राष्ट्र की सुरक्षा पर आतंकवाद, साइबर अपराध, जैविक युद्ध, आर्थिक प्रतिबंध, सूचना युद्ध, ड्रोन हमले, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित साइबर आक्रमण तथा अंतरराष्ट्रीय अपराध सिंडिकेट समान रूप से प्रभाव डाल रहे हैं।

इक्कीसवीं सदी को कहा जाता है। इस युग में सूचना ही शक्ति है तथा समय पर प्राप्त "सूचना का युग" सटीक सूचना किसी भी राष्ट्र को संभावित संकट से बचा सकती है। यही कारण है कि आधुनिक राष्ट्रों ने अपनी सुरक्षा रणनीति में खुफियाएजेंसियों को अत्यधिक महत्व दिया है। किसी भी आतंकी हमले, युद्ध, आर्थिक षड्यंत्र अथवा साइबर आक्रमण को रोकने की प्रथम जिम्मेदारी खुफिया एजेंसियों पर ही होती है। यदि किसी संभावित खतरे की पूर्व सूचना प्राप्त हो जाए तो अनेक बार बिना युद्ध किए ही संकट को टाला जा सकता है।

भारत की भौगोलिक एवं सामरिक स्थिति इसे विश्व के सबसे संवेदनशील देशों में स्थान प्रदान करती है। उत्तर में चीन, पश्चिम में पाकिस्तान, हिंद महासागर क्षेत्र की सामरिक चुनौतियाँ, सीमा पार आतंकवाद, ड्रग्स तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर अपराध, नक्सलवाद तथा पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववादी गतिविधियाँ भारतीय सुरक्षा व्यवस्था को निरंतर चुनौती देती रही हैं। इन परिस्थितियों में भारत की खुफिया एजेंसियाँ केवल सूचना संग्रह करने वाली संस्थाएँ नहीं हैं, बल्कि वे राष्ट्रीय नीति निर्माण, आतंकवादनिरोध-, सामरिक योजना, विदेश नीति तथा आंतरिक सुरक्षा के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।

हाल के वर्षों में विश्व ने अनेक ऐसी घटनाएँ देखी हैं जिन्होंने खुफिया एजेंसियों की भूमिका को पुनः केंद्र में ला दिया है। 26/11 का मुंबई आतंकवादी हमला, 2001 में भारतीय संसद पर हमला, पुलवामा आतंकवादी घटना, रूस-यूक्रेन युद्ध तथा विशेष रूप से अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इज़रायल पर किया गया हमला इस तथ्य को स्पष्ट करते हैं कि यदि खुफिया तंत्र में थोड़ी भी चूक हो जाए तो उसके परिणाम अत्यंत गंभीर हो सकते हैं।

हमास के हमले में हजारों लोगों की मृत्यु तथा भारी आर्थिक एवं सामरिक क्षति ने यह प्रश्न पुनः खड़ा किया कि क्या आधुनिक तकनीक से लैस देशों की खुफिया व्यवस्था भी विफल हो सकती है? इस घटना ने विश्वभर में यह बहस पुनर्जीवित कर दी कि आतंकवाद के विरुद्ध सबसे प्रभावी हथियार सैन्य शक्ति नहीं, बल्कि समय पर प्राप्त सटीक खुफिया सूचना है।

भारत ने भी अपने अनुभवों से अनेक महत्वपूर्ण सबक सीखे हैं । 26/11 मुंबई हमले के पश्चात राष्ट्रीय जांच एजेंसी(NIA), मल्टी एजेंसी सेंटर(MAC), NATGRID तथा साइबर सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने की दिशा में अनेक सुधार किए गए। वर्तमान में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, उपग्रह निगरानी, ड्रोन सर्विलांस तथा साइबर इंटेलिजेंस जैसी तकनीकों ने खुफिया प्रणाली को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है।

इसके साथ ही यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में नागरिकों के मौलिक अधिकार, निजता का अधिकार तथा लोकतांत्रिक मूल्यों का संरक्षण भी समान रूप से महत्वपूर्ण है। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्रों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन स्थापित करना है।

इसी संदर्भ में यह शोधपत्र भारत-खुफिया एजेंसियों की भूमिका, उनकी संरचना, कार्यप्रणाली, उपलब्धियों, सीमाओं तथा भविष्य की संभावनाओं का समग्र विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

शोध के उद्देश्य

इस अध्ययन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

- राष्ट्रीय सुरक्षा की अवधारणा एवं उसके विभिन्न आयामों का अध्ययन करना।
- खुफिया प्रणाली की संरचना, उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली का विश्लेषण करना।
- भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व का अध्ययन करना।
- आतंकवादनिरोध एवं राष्ट्रीय सुरक्षा में खुफिया एजेंसियों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना।-
- भारत की खुफिया प्रणाली की तुलना अमेरिका एवं इज़रायल जैसी प्रमुख खुफिया व्यवस्थाओं से करना।
- आधुनिक तकनीकों–विशेषकर कृत्रिम बुद्धिमत्ता एवं साइबर इंटेलिजेंस–की भूमिका का अध्ययन करना।
- भारतीय खुफिया तंत्र में आवश्यक सुधारों हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

यह शोध मुख्यतः **गुणात्मक (Qualitative)** एवं **विश्लेषणात्मक (Analytical)** प्रकृति का है। अध्ययन में द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। शोध सामग्री सरकारी रिपोर्टों, गृह मंत्रालय के प्रकाशनों, रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(IDSA) के शोध पत्रों, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के दस्तावेजों, विभिन्न पुस्तकों, शोध-पत्रों, समाचार स्रोतों तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा संस्थानों के प्रकाशनों से संकलित की गई है। उपलब्ध तथ्यों का तुलनात्मक एवं समालोचनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष प्रस्तुत किए गए हैं।

खुफिया प्रणाली की अवधारणा एवं स्वरूप

खुफिया(Intelligence) शब्द का सामान्य अर्थ केवल गुप्त सूचनाएँ प्राप्त करना नहीं है, बल्कि किसी राष्ट्र की सुरक्षा, संप्रभुता तथा रणनीतिक हितों से संबंधित सूचनाओं का संग्रह**(Collection), विश्लेषण (Analysis), मूल्यांकन (Assessment) तथा समयबद्ध प्रसारण (Dissemination)**भी है। आधुनिक सुरक्षा अध्ययन के अनुसार केवल सूचना एकत्र करना पर्याप्त नहीं है; उसका वैज्ञानिक विश्लेषण कर नीतिनिर्माताओं तक उचित - समय पर पहुँचाना ही प्रभावी खुफिया प्रणाली का वास्तविक उद्देश्य है। आज के वैश्विक परिवेश में खुफिया प्रणाली राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आधार बन चुकी है। किसी भी युद्ध, आतंकवादी घटना, साइबर हमले अथवा सीमापार षड्यंत्र की सफलता अथवा विफलता काफी हद तक उपलब्ध खुफिया जानकारी की गुणवत्ता - पर निर्भर करती है। आधुनिक राष्ट्रों में सैन्य शक्ति और खुफिया शक्ति एक दुसरे की पूरक मानी जाती हैं।

भारत जैसे विशाल भौगोलिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक विविधताओं वाले लोकतांत्रिक राष्ट्र में खुफिया तंत्र की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत को एक साथ बाहरी तथा आंतरिक दोनों प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सीमा पार आतंकवाद, घुसपैठ, साइबर अपराध, नक्सलवाद, संगठित अपराध, ड्रग्स तस्करी, जाली मुद्रा, धार्मिक कट्टरता तथा विदेशी खुफिया एजेंसियों की गतिविधियाँ निरंतर राष्ट्रीय सुरक्षा के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न करती रहती हैं।

खुफिया प्रणाली के उद्देश्य

किसी भी आधुनिक खुफिया प्रणाली का उद्देश्य केवल अपराध या आतंकवादी घटनाओं का पता लगाना नहीं होता, बल्कि संभावित खतरों को उत्पन्न होने से पहले ही रोकना भी होता है। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं–

(1) रोकथाम

खुफिया एजेंसियों का प्रथम उद्देश्य संभावित खतरों की पूर्व पहचान कर उन्हें वास्तविक घटना बनने से पहले रोकना है। यदि समय रहते विश्वसनीय सूचना प्राप्त हो जाए तो आतंकवादी हमलों, सीमापार घुसपैठ तथा - साइबर हमलों को विफल किया जा सकता है।

(2) सूचना संग्रह

देश के भीतर एवं बाहर विभिन्न स्रोतों से सुरक्षा संबंधी सूचनाओं का संग्रह करना खुफिया एजेंसियों का मूल कार्य है। इसके लिए मानव स्रोत)Human Intelligence), तकनीकी निगरानी, उपग्रह चित्र, साइबर नेटवर्क, संचार अवरोधन तथा अंतरराष्ट्रीय सहयोग का उपयोग किया जाता है।

(3) विश्लेषण

प्राप्त सूचनाओं का वैज्ञानिक एवं वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करना आवश्यक होता है। अनेक बार अलग अलग स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं को जोड़कर संभावित खतरे का पूर्वानुमान लगाया जाता है |

(4) नीतिनिर्माण में सहयोग-

खुफिया एजेंसियाँ सरकार को विदेश नीति, रक्षा नीति, सीमा प्रबंधन तथा आंतरिक सुरक्षा से संबंधित निर्णय लेने में सहायता प्रदान करती हैं।

(5) राष्ट्रीय हितों की रक्षा

विदेशों में भारत के सामरिक, आर्थिक तथा राजनीतिक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी खुफिया एजेंसियों का प्रमुख उद्देश्य है।

भारत का खुफिया तंत्र :

भारत का खुफिया ढाँचा बहु-स्तरीय (Multi-layered) है। विभिन्न एजेंसियाँ अपनेअपने कार्यक्षेत्र के - अनुसार कार्य करती हैं, जबकि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(NSA), कैबिनेट सचिवालय तथा विभिन्न समन्वय संस्थाएँ इनके बीच समन्वय स्थापित करती हैं।

भारतीय खुफिया तंत्र का विकास ब्रिटिश शासनकाल से प्रारम्भ हुआ। वर्ष 1887 में स्थापित **इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB)** स्वतंत्र भारत की सबसे पुरानी खुफिया संस्था है। 1962 के भारत -युद्ध तथा चीन 1965 के भारतपाकिस्तान - युद्ध के अनुभवों के बाद यह महसूस किया गया कि बाह्य खुफिया के लिए पृथक एजेंसी की आवश्यकता है। परिणामस्वरूप वर्ष1968 में **अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग(Research and Analysis Wing - RAW)** की स्थापना की गई। समय के साथ साइबर सुरक्षा, उपग्रह निगरानी, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस तथा तकनीकी विश्लेषण हेतु अनेक नई संस्थाओं की स्थापना की गई।

भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसियाँ

अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (Research and Analysis Wing - RAW)

RAW भारत की प्रमुख**विदेशी खुफिया एजेंसी** है। इसकी स्थापना वर्ष **1968** में की गई थी। यह कैबिनेट सचिवालय के अधीन कार्य करती है।

प्रमुख कार्य

- विदेशी देशों से सामरिक एवं राजनीतिक खुफिया जानकारी प्राप्त करना।
- सीमा पार आतंकवादी गतिविधियों की निगरानी।
- पाकिस्तान, चीन एवं अन्य देशों की सुरक्षा गतिविधियों का विश्लेषण।
- परमाणु सुरक्षा एवं सामरिक परियोजनाओं की सुरक्षा।
- विदेश नीति निर्माण हेतु रणनीतिक सूचनाएँ उपलब्ध कराना।
- भारत विरोधी संगठनों की गतिविधियों पर निगरानी रखना।
- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं संगठित अपराध के विरुद्ध सहयोग।

राष्ट्रीय सुरक्षा में योगदान

RAW ने बांग्लादेश मुक्ति संग्राम(1971), श्रीलंका, अफगानिस्तान, नेपाल तथा दक्षिण एशिया के अनेक सामरिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके अतिरिक्त भारत के परमाणु कार्यक्रम तथा सामरिक परियोजनाओं की सुरक्षा में भी इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इंटेलिजेंस ब्यूरो (Intelligence Bureau - IB)

IB भारत की **आंतरिक खुफिया एजेंसी** है तथा देश की सबसे पुरानी खुफिया संस्था मानी जाती है। प्रमुख कार्य -

- आतंकवाद विरोधी गतिविधियाँ।
- अलगाववादी संगठनों की निगरानी।
- नक्सलवाद एवं उग्रवाद पर नियंत्रण।
- सांप्रदायिक तनाव एवं सामाजिक अशांति की निगरानी।
- विदेशी जासूसी गतिविधियों की पहचान।
- राज्य पुलिस एवं केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ समन्वय।

IB की सबसे बड़ी विशेषता इसका व्यापक मानव खुफिया नेटवर्क (Human Intelligence Network) है। इसके अधिकारी देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर कार्य करते हुए संवेदनशील सूचनाएँ एकत्र करते हैं।

राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन (National Technical Research Organisation - NTRO)

21वीं सदी में तकनीकी खुफिया का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए NTRO की स्थापना की गई।प्रमुख कार्य -

- उपग्रह आधारित निगरानी।
- साइबर खुफिया।
- इलेक्ट्रॉनिक निगरानी।
- सिग्नल इंटेलिजेंस।
- सीमा क्षेत्रों की तकनीकी निगरानी।
- डिजिटल डेटा विश्लेषण।

NTRO आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर ऐसी सूचनाएँ प्राप्त करता है जिन्हें पारंपरिक मानव स्रोतों से प्राप्त करना कठिन होता है।

राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र (National Cyber Coordination Centre - NCCC)

डिजिटल युग में साइबर हमले राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े खतरों में शामिल हो चुके हैं।

NCCC का उद्देश्य–

- साइबर हमलों की पहचान।
- राष्ट्रीय साइबर नेटवर्क की निगरानी।
- महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की सुरक्षा।
- साइबर आतंकवाद की रोकथाम।
- साइबर घटनाओं पर त्वरित प्रतिक्रिया।

आज बैंकिंग, ऊर्जा, परिवहन, संचार तथा रक्षा क्षेत्र की साइबर सुरक्षा में NCCC महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विमानन अनुसंधान केंद्र (Aviation Research Centre - ARC)

ARC मुख्यतः **हवाई निगरानी एवं फोटोग्राफिक खुफिया (Imagery Intelligence)** से संबंधित कार्य करता है। इसके प्रमुख कार्य हैं–

- सीमा क्षेत्रों की हवाई निगरानी।
- ड्रोन एवं विमान द्वारा जानकारी संग्रह।
- उपग्रह चित्रों का विश्लेषण।
- सैन्य अभियानों हेतु सामरिक सूचना उपलब्ध कराना।

इलेक्ट्रॉनिक एवं तकनीकी सेवाएँ (Electronic and Technical Services - ETS)

ETS का मुख्य कार्य इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली की निगरानी करना है। इसके अंतर्गत–

- इलेक्ट्रॉनिक संकेतों का विश्लेषण।
- सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित करना।
- शत्रु संचार का अवरोधन।
- तकनीकी निगरानी।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार-

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार प्रधानमंत्री के प्रमुख सुरक्षा सलाहकार होते हैं।प्रमुख उत्तरदायित्व-

- विभिन्न खुफिया एजेंसियों से प्राप्त रिपोर्टों का समन्वय।
- राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को रणनीतिक सलाह देना।
- प्रधानमंत्री को सुरक्षा मामलों पर नियमित जानकारी देना।
- विदेश नीति एवं सुरक्षा नीति में समन्वय स्थापित करना।
- चीन, पाकिस्तान एवं अन्य सामरिक मामलों में विशेष वार्ताकार के रूप में कार्य करना।
- NSA का कार्यालय विभिन्न खुफिया एजेंसियों के मध्य समन्वय स्थापित करने में केंद्रीय भूमिका निभाता है।

आधुनिक खुफिया प्रणाली के प्रमुख प्रकार

आज केवल मानव स्रोतों पर आधारित खुफिया प्रणाली पर्याप्त नहीं मानी जाती। आधुनिक खुफिया प्रणाली अनेक प्रकार की होती है–

(1) Human Intelligence (HUMINT)

मानव स्रोतों, मुखबिरों, एजेंटों एवं गुप्त अधिकारियों द्वारा प्राप्त सूचना।

(2) Signal Intelligence (SIGINT)

टेलीफोन, रेडियो, उपग्रह संचार एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक संकेतों से प्राप्त सूचना।

(3) Electronic Intelligence (ELINT)

रडार, मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं सैन्य प्रणालियों से संबंधित तकनीकी सूचना।

(4) Open Source Intelligence (OSINT)

समाचार पत्र, सोशल मीडिया, सरकारी वेबसाइट, शोध रिपोर्ट, सार्वजनिक दस्तावेज तथा इंटरनेट से प्राप्त सूचना।आज OSINT का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है क्योंकि आतंकवादी संगठन भी सोशल मीडिया का व्यापक उपयोग करते हैं।

(5) Cyber Intelligence

कंप्यूटर नेटवर्क, डार्क वेब, हैकर समूहों, डिजिटल संचार एवं साइबर गतिविधियों से संबंधित सूचना।

(6) Geospatial Intelligence (GEOINT)

उपग्रह चित्रों, ड्रोन, डिजिटल मानचित्रों एवं भौगोलिक डेटा का विश्लेषण।

भारतीय खुफिया तंत्र की कार्यप्रणाली

भारतीय खुफिया तंत्र मुख्यतः निम्न चरणों में कार्य करता है–

- सूचना संग्रह
- सूचना का सत्यापन

- विश्लेषण एवं वर्गीकरण
- खतरे का आकलन
- संबंधित एजेंसियों को सूचना प्रेषण
- सुरक्षा कार्रवाई
- घटना के बाद समीक्षा एवं सुधार

इस प्रक्रिया में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बल तथा विभिन्न तकनीकी संस्थाएँ परस्पर समन्वय स्थापित करती हैं।

आतंकवाद रोधी अभियानों में भारतीय खुफिया-एजेंसियों की भूमिका

भारत पिछले कई दशकों से आतंकवाद की चुनौती का सामना कर रहा है। पंजाब में उग्रवाद, जम्मूकश्मीर - में सीमा पार आतंकवाद, पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाववाद तथा वामपंथी उग्रवाद जैसी चुनौतियों से निपटने में खुफिया एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इंटेलिजेंस ब्यूरो द्वारा स्थानीय स्तर पर विकसित मानव नेटवर्क के माध्यम से अनेक आतंकवादी षड्यंत्रों को समय रहते विफल किया गया है। दूसरी ओर RAW ने सीमा पार संचालित आतंकवादी संगठनों, प्रशिक्षण शिविरों तथा विदेशी वित्तपोषण से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाएँ उपलब्ध कराकर राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया है। आधुनिक समय में आतंकवाद का स्वरूप लगातार बदल रहा है। आतंकवादी संगठन सोशल मीडिया, एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग एप, क्रिप्टोकरेंसी तथा डार्क वेब का उपयोग कर रहे हैं। इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसियाँ भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता)AI), बिग डेटा विश्लेषण, मशीन लर्निंग तथा साइबर निगरानी जैसी आधुनिक तकनीकों को अपनाकर अपनी कार्यक्षमता में निरंतर वृद्धि कर रही हैं।

अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में खुफिया एजेंसियों की भूमिका

वैश्वीकरण, तकनीकी विकास एवं अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद के विस्तार ने विश्व के अधिकांश देशों को अपनी खुफिया प्रणालियों को आधुनिक बनाने के लिए प्रेरित किया है। वर्तमान समय में किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा केवल उसकी सैन्य शक्ति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि उसके **खुफिया तंत्र की दक्षता, त्वरित निर्णय क्षमता तथा तकनीकी संसाधनों** पर भी निर्भर करती है। अमेरिका, इज़राइल, ब्रिटेन, रूस और चीन जैसे देशों ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में खुफिया एजेंसियों को केंद्रीय स्थान प्रदान किया है।

हमास-इज़राइल संघर्ष खुफिया दृष्टिकोण से विश्लेषण :

7 अक्टूबर 2023 को हमास द्वारा इज़राइल पर किया गया हमला आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी खुफिया विफलताओं में से एक माना गया। इस हमले में हजारों लोग मारे गए तथा बड़ी संख्या में नागरिकों को बंधक बनाया गया। यह घटना इसलिए अधिक महत्वपूर्ण थी क्योंकि इज़राइल को विश्व की सबसे उन्नत खुफिया व्यवस्थाओं में गिना जाता है।इस घटना से प्राप्त प्रमुख निष्कर्ष -

- अत्यधिक तकनीकी संसाधन होने के बावजूद मानव खुफिया(HUMINT) की उपेक्षा नहीं की जा सकती।
- सूचना उपलब्ध होना पर्याप्त नहीं; उसका सही विश्लेषण भी आवश्यक है।
- विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी गंभीर परिणाम उत्पन्न कर सकती है।
- कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानव विश्लेषण का विकल्प नहीं बन सकती।
- सीमा सुरक्षा में निरंतर सतर्कता आवश्यक है।

यह घटना विश्व के सभी देशों, विशेषकर भारत के लिए एक महत्वपूर्ण अध्ययन का विषय बन गई।

भारतीय खुफिया तंत्र की प्रमुख चुनौतियाँ

एजेंसियों के मध्य समन्वय का अभाव

भारत में अनेक खुफिया एजेंसियाँ कार्यरत हैं। कई बार सूचना का समुचित आदानप्रदान समय पर नहीं हो - पाता।इससे–

- सूचना का दोहराव
- विश्लेषण में विलंब
- निर्णय लेने में कठिनाई

जैसी समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।

संरचनात्मक सीमाएँ

भारत की अधिकांश खुफिया एजेंसियाँ कार्यपालिका के अधीन कार्य करती हैं, जबकि उनके लिए स्पष्ट वैधानिक ढाँचा अभी भी सीमित है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि इनके अधिकार, उत्तरदायित्व तथा जवाबदेही को स्पष्ट करने हेतु समग्र कानूनी व्यवस्था विकसित की जानी चाहिए।

साइबर सुरक्षा की चुनौती

आज अधिकांश सुरक्षा खतरे डिजिटल माध्यमों से उत्पन्न हो रहे हैं।मुख्य चुनौतियाँ–

- हैकिंग
- रैनसमवेयर
- साइबर जासूसी
- महत्वपूर्ण अवसंरचना पर साइबर हमले
- सोशल मीडिया के माध्यम से दुष्प्रचार
- सीमा पार आतंकवाद

पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद, सीमा पार घुसपैठ तथा ड्रोन के माध्यम से हथियार एवं मादक पदार्थों की तस्करी भारत की प्रमुख सुरक्षा चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं डीपफेक
- AI आधारित तकनीकों ने सुरक्षा व्यवस्था के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न कर दी हैं।

उदाहरण–

- Deepfake वीडियो
- स्वचालित साइबर हमले
- AI आधारित फर्जी पहचान
- नकली डिजिटल दस्तावेज.इनसे राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है।

डेटा सुरक्षा

सरकारी संस्थानों, रक्षा प्रतिष्ठानों तथा नागरिकों के विशाल डिजिटल डेटा की सुरक्षा आज अत्यंत आवश्यक हो गई है। डेटा चोरी अब केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न बन चुकी है।

खुफिया प्रणाली एवं नई तकनीक

आधुनिक खुफिया प्रणाली तकनीकी नवाचारों पर आधारित होती जा रही है।

प्रमुख तकनीकें

(1) Artificial Intelligence

- पैटर्न पहचान
- संदिग्ध गतिविधियों का पूर्वानुमान
- डेटा विश्लेषण
- आतंकवादी नेटवर्क की पहचान

(2) Machine Learning

- व्यवहार विश्लेषण
- भविष्यवाणी आधारित सुरक्षा मॉडल
- संदिग्ध संचार का वर्गीकरण

(3) Big Data Analytics

- लाखों सूचनाओं का त्वरित विश्लेषण कर संभावित खतरे की पहचान।

(4) Drone Surveillance

- सीमा निगरानी
- जंगल क्षेत्रों में निगरानी
- आतंकवाद विरोधी अभियान

(5) Satellite Intelligence

- सीमा गतिविधियों का अध्ययन
- सैन्य संरचनाओं की निगरानी
- प्राकृतिक आपदा एवं सामरिक योजना

(6) Facial Recognition Technology

- संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान
- भीड़ प्रबंधन
- आतंकवाद विरोधी अभियान

हालाँकि इसके उपयोग से निजता के अधिकार से संबंधित प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं मानवाधिकार

आधुनिक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में राष्ट्रीय सुरक्षा तथा नागरिक स्वतंत्रता के मध्य संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।

खुफिया एजेंसियों को–

- संविधान का सम्मान करना चाहिए।
- न्यायिक सिद्धांतों का पालन करना चाहिए।
- नागरिकों की निजता का संरक्षण करना चाहिए।
- तकनीकी निगरानी का उपयोग केवल आवश्यक परिस्थितियों में करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अनावश्यक निगरानी लोकतांत्रिक मूल्यों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए प्रभावी कानूनी निगरानी एवं उत्तरदायित्व आवश्यक है।

कौटिल्य के अर्थशास्त्र एवं आधुनिक खुफिया व्यवस्था

भारतीय परंपरा में खुफिया व्यवस्था का उल्लेख अत्यंत प्राचीन है। कौटिल्य ने**'अर्थशास्त्र'**में गुप्तचर व्यवस्था को राज्य संचालन का प्रमुख आधार माना है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख करते हुए कहा कि–

- शत्रु की गतिविधियों की निरंतर जानकारी आवश्यक है।
- आंतरिक विद्रोह को प्रारम्भिक अवस्था में ही नियंत्रित किया जाना चाहिए।
- गुप्तचर राजा की आँख एवं कान होते हैं।
- आज भी अनेक आधुनिक खुफिया सिद्धांत कौटिल्य के विचारों से साम्यता रखते हैं।

भारतीय खुफिया तंत्र में सुधार की आवश्यकता

भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है तथा इसकी भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या, सामाजिक विविधता एवं सामरिक महत्व इसे अनेक प्रकार की सुरक्षा चुनौतियों के केंद्र में रखता है। वर्तमान समय में राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे केवल पारंपरिक युद्ध तक सीमित नहीं हैं, बल्कि आतंकवाद, साइबर युद्ध, जैविक खतरे, आर्थिक जासूसी, सूचना युद्ध, कृत्रिम बुद्धिमत्ता(AI) आधारित हमले तथा दुष्प्रचार(Disinformation Campaigns) जैसे बहुआयामी स्वरूप धारण कर चुके हैं। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय खुफिया तंत्र को अधिक आधुनिक, तकनीकी रूप से सक्षम, समन्वित तथा उत्तरदायी बनाने की आवश्यकता है। विगत दशकों में 1962 का भारतचीन युद्ध-, 1999 का कारगिल संघर्ष, 2001 का संसद हमला, 26/11 मुंबई हमला तथा पुलवामा जैसी घटनाओं ने यह स्पष्ट किया है कि समय पर उपलब्ध खुफिया सूचना, उसका प्रभावी विश्लेषण तथा एजेंसियों के बीच समन्वय राष्ट्रीय सुरक्षा की सफलता का आधार है। इन अनुभवों के आधार पर भारतीय खुफिया व्यवस्था में निरंतर सुधार आवश्यक है।

भारतीय खुफिया तंत्र की प्रमुख कमियाँ

(1) समन्वय का अभाव

भारत में अनेक खुफिया एजेंसियाँ कार्यरत हैं, जिनके कार्यक्षेत्र अलगअलग हैं। अनेक अवसरों पर सूचना के -प्रदान में विलंब-आदान, दोहराव तथा विश्लेषण की कमी देखी गई है। इससे निर्णय लेने की प्रक्रिया प्रभावित होती है।

(2) कानूनी ढाँचे की सीमाएँ

भारत की कुछ प्रमुख खुफिया एजेंसियाँ स्पष्ट वैधानिक अधिनियम के अंतर्गत संचालित नहीं होतीं। इससे उनकी शक्तियों, उत्तरदायित्वों एवं जवाबदेही को लेकरसमय -समय पर प्रश्न उठते हैं |एक स्पष्ट क़ानूनी ढांचा संस्थागत पारदर्शिता और प्रभावशीलता को सुदृढ़ कर सकता है |

(*3*) तकनीकी संसाधनों की आवश्यकता

साइबर युद्ध, एन्क्रिप्टेड संचार, ड्रोन तकनीक, क्वांटम कंप्यूटिंग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते उपयोग को देखते हुए भारतीय एजेंसियों को अत्याधुनिक तकनीकी संसाधनों से सुसज्जित करना आवश्यक है।

(4) मानव संसाधन विकास

आधुनिक खुफिया कार्य केवल पारंपरिक पुलिसिंग तक सीमित नहीं है। इसमें डेटा विज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, साइबर सुरक्षा, विदेशी भाषाओं, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, मनोविज्ञान तथा वित्तीय अपराधों के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है।

(5) प्रशिक्षण एवं अनुसंधान

निरंतर बदलते सुरक्षा परिवेश के अनुसार अधिकारियों को आधुनिक प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय अनुभव तथा उन्नत अनुसंधान सुविधाएँ उपलब्ध कराई जानी चाहिए।

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(IDSA) टास्क फोर्स की प्रमुख सिफारिशें

रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(IDSA) द्वारा गठित विशेषज्ञ समूह ने भारतीय खुफिया व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने हेतु अनेक महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

(1) **व्यापक संस्थागत सुधार**

सुधारों का उद्देश्य केवल प्रशासनिक परिवर्तन नहीं होना चाहिए, बल्कि खुफिया तंत्र को अधिक सक्रिय, समन्वित एवं तकनीकी रूप से सक्षम बनाना होना चाहिए।

(2) **कानूनी आधार प्रदान करना**

RAW, IB तथा अन्य प्रमुख एजेंसियों के कार्यों को स्पष्ट वैधानिक आधार प्रदान किया जाए, जिससे उनकी भूमिका, अधिकार एवं उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से निर्धारित हों।

(3) प्रत्यक्ष भर्ती प्रणाली

संघ लोक सेवा आयोग(UPSC) अथवा अन्य उपयुक्त माध्यमों से विभिन्न विशेषज्ञ क्षेत्रों–जैसे साइबर सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विज्ञान, विदेशी भाषाएँ, क्रिप्टोग्राफी एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के विशेषज्ञों की प्रत्यक्ष भर्ती की व्यवस्था विकसित की जाए।

(4) प्रौद्योगिकी का आधुनिकीकरण

- साइबर इंटेलिजेंस को मजबूत करना।
- Signal Intelligence (SIGINT) क्षमता बढ़ाना।
- अत्याधुनिक क्रिप्टोग्राफी प्रणाली विकसित करना।

- क्वांटम एन्क्रिप्शन जैसी तकनीकों का उपयोग बढ़ाना।
- उपग्रह निगरानी एवं ड्रोन आधारित सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करना।

(5) बेहतर समन्वय व्यवस्था

राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न एजेंसियों के मध्य सूचना साझाकरण के लिए एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जाए तथा **राष्ट्रीय खुफिया समन्वयक)National Intelligence Coordinator)** अथवा **राष्ट्रीय खुफिया निदेशक)National Intelligence Director)** जैसे पद की स्थापना पर विचार किया जाए।

(6) जवाबदेही एवं निगरानी

- गुप्त सेवा निधियों का नियंत्रित एवं गोपनीय ऑडिट।
- संसदीय अथवा उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र।
- सूचना प्रबंधन एवं साक्ष्य संरक्षण के लिए स्वतंत्र संस्थागत व्यवस्था।
- आंतरिक सतर्कता तंत्र का सुदृढ़ीकरण।

भविष्य की रणनीति

कृत्रिम बुद्धिमत्ता(Artificial Intelligence) आधारित खुफिया प्रणाली

भविष्य की खुफिया व्यवस्था AI आधारित होगी। AI की सहायता से–

- आतंकवादी गतिविधियों का पूर्वानुमान,
- संदिग्ध वित्तीय लेनदेन की पहचान-,
- सोशल मीडिया विश्लेषण,
- सीमा गतिविधियों की निगरानी,
- साइबर हमलों का पूर्वानुमान

अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

बिग डेटा एवं Predictive Intelligence

आज प्रतिदिन करोड़ों डिजिटल सूचनाएँ उत्पन्न होती हैं। Big Data Analyticsके माध्यम से इन सूचनाओं का विश्लेषण कर संभावित सुरक्षा खतरों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है।

Open-Source Intelligence (OSINT)

सोशल मीडिया, समाचार पोर्टल, सार्वजनिक अभिलेख, उपग्रह चित्र तथा डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्राप्त सूचनाएँ आधुनिक खुफिया प्रणाली का महत्वपूर्ण स्रोत बन चुकी हैं। भविष्य में OSINT का महत्व और अधिक बढ़ेगा।

साइबर सुरक्षा का सुदृढ़ीकरण

भारत को राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति को और अधिक प्रभावी बनाते हुए–

- Critical Infrastructure Protection,
- Cyber Threat Intelligence,

- Digital Forensics,
- Cyber Incident Response

जैसी क्षमताओं का विस्तार करना होगा।

सीमा सुरक्षा का डिजिटलीकरण

भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा हेतु–

- स्मार्ट फेंसिंग,
- सेंसर नेटवर्क,
- ड्रोन निगरानी,
- AI आधारित कैमरा प्रणाली,
- उपग्रह निगरानी

का व्यापक उपयोग आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय सहयोग

आतंकवाद अब सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसलिए भारत को संयुक्त राष्ट्र, इंटरपोल तथा मित्र देशों के साथ–

- खुफिया जानकारी साझा करने,
- आतंकवादी वित्तपोषण रोकने,
- साइबर अपराध नियंत्रण,
- प्रत्यर्पण व्यवस्था,

में सहयोग को और मजबूत करना चाहिए।

राष्ट्रीय सुरक्षा एवं लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व

एक प्रभावी खुफिया तंत्र का उद्देश्य केवल सुरक्षा सुनिश्चित करना नहीं, बल्कि संविधान एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना भी है। अतः खुफिया एजेंसियों को कार्य करते समय निम्न सिद्धांतों का पालन करना चाहिए–

- मौलिक अधिकारों का सम्मान
- निजता के अधिकार की रक्षा
- न्यूनतम आवश्यक निगरानी
- न्यायिक एवं संस्थागत उत्तरदायित्व

राष्ट्रीय सुरक्षा और नागरिक स्वतंत्रता के बीच संतुलन स्थापित करना आधुनिक लोकतांत्रिक शासन की सबसे बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष

राष्ट्रीय सुरक्षा किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता, अखंडता, राजनीतिक स्थिरता तथा सतत विकास का आधार है। वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में सुरक्षा की चुनौतियाँ पारंपरिक युद्ध से आगे बढ़कर आतंकवाद, साइबर अपराध, आर्थिक जासूसी, जैविक संकट, सूचना युद्ध तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खतरों तक विस्तृत हो चुकी हैं। इन

परिस्थितियों में खुफिया एजेंसियाँ राष्ट्रीय सुरक्षा की प्रथम रक्षा पंक्ति के रूप में कार्य करती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियाँ–अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग(RAW), इंटेलिजेंस ब्यूरो(IB), राष्ट्रीय तकनीकी अनुसंधान संगठन(NTRO), राष्ट्रीय साइबर समन्वय केंद्र(NCCC) तथा अन्य संस्थाएँ–देश की आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आतंकवादरोधी अभियानों- सीमा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, विदेशी नीति निर्माण तथा सामरिक निर्णयों में इनकी भूमिका निरंतर बढ़ती जा रही है। यद्यपि भारतीय खुफिया तंत्र ने अनेक उल्लेखनीय सफलताएँ प्राप्त की हैं, तथापि समन्वय की कमी, तकनीकी चुनौतियाँ, बदलते साइबर खतरे तथा संस्थागत सुधार की आवश्यकता जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं। इन चुनौतियों का समाधान उन्नत तकनीक, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, बिग डेटा विश्लेषण, विशेषज्ञ मानव संसाधन, प्रभावी प्रशिक्षण, स्पष्ट कानूनी ढाँचे तथा एजेंसियों के मध्य बेहतर समन्वय के माध्यम से किया जा सकता है। हाल ही में हमास-इज़राइल संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया कि अत्यधिक विकसित सुरक्षा तंत्र भी समय पर एवं प्रभावी खुफिया विश्लेषण के अभाव में गंभीर संकट का सामना कर सकता है। भारत के लिए यह एक महत्वपूर्ण सीख है कि राष्ट्रीय सुरक्षा केवल सैन्य शक्ति पर आधारित नहीं हो सकती; बल्कि **सटीक, समयबद्ध, वैज्ञानिक एवं समन्वित खुफिया प्रणाली ही आधुनिक राष्ट्रीय सुरक्षा की वास्तविक आधारशिला है।** भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति **श्री मोहम्मद हामिद अंसारी** का यह कथन आज भी अत्यंत प्रासंगिक है–

"अच्छी खुफिया जानकारी अक्सर जीत और हार, जीवन और मृत्यु के बीच अंतर उत्पन्न करती है।"

अतः भविष्य की भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में तकनीकी नवाचार, संस्थागत सुधार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, लोकतांत्रिक उत्तरदायित्व तथा मानव केन्द्रित खुफिया प्रणाली को समान महत्व देना समय की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. भारत सरकार, गृह मंत्रालय,वार्षिक प्रतिवेदन (विभिन्न वर्षनई दिल्ली)
2. भारत सरकार,राष्ट्रीय सुरक्षा नीति संबंधी दस्तावेज, नई दिल्ली।
3. कौटिल्य"अर्थशास्त्र" विभिन्न हिंदी संस्करण।
4. राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, सचिवालय,राष्ट्रीय सुरक्षा एवं रणनीतिक अध्ययन।
5. रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान(IDSA),भारतीय खुफिया तंत्र सुधार संबंधी रिपोर्ट।
6. भारत सरकार,राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति|
7. भारतीय संविधान, भारत सरकार प्रकाशन।
8. शर्मा, एस.के. (2021)।राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आतंकवाद, नई दिल्ली।
9. सिंह, वी,पी.(2022)।भारत की आंतरिक सुरक्षा, जयपुर: रावत पब्लिकेशन
10. मिश्रा, आर. (2020),भारतीय सुरक्षा व्यवस्था, नई दिल्ली।